

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED - NEW DELHI

(PERSONNEL DIVISION)

MEDICAL SECTION

STC/CO/PERS/MED/03017/2014

DATE: 19-07-2019

NOTICE


This is for information of all employees that the validity period of empanelment of Indian Spinal Injuries Centre V.Kunj. New Delhi was expired on 04.07.2019.

The empanelment arrangement was made on non-CGHS rates.

As per the Circular dated 28.03.2018, the renewal of empanelment arrangement with Hospitals has to be carried out at CGHS rates only w.e.f. 01.04.2018.

In this regard, Medical section is in negotiation with Indian Spinal Injuries Centre V.Kunj. New Delhi for empanelment arrangement on CGHS rates.

During this period no authorization letter will be issued to employees for IPD treatment. If any employee/ex-employee(for approved 5 major illness) takes indoor treatment in the above noted hospital, he/she will have to make payment to the Hospital at the time of discharge and the reimbursement for the expenditure incurred on the indoor treatment in the above hospital would be made as per the policy pertaining to reimbursement of expenditure in non empanelled hospital.


(R.Madhusudan)

Deputy General Manager(p)

Distribution :

- Executive Secretary to CMD
- Executive Secretary to Directors/CVO
- GM(F)-(RN)
- STC's website
- Notice Boards

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली

(कार्मिक प्रभाग)

चिकित्सा कक्ष

एसटीसी/मुख्यालय/का./चि./03017/2014

19.07.2019

सूचना

यह सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए है कि इंडियन स्पाइनल इन्जरी सेंटर, वसन्त कुंज, नई दिल्ली के इम्पैनलमेंट के कार्यकाल की अवधि 04.07.2019 को समाप्त हो गई है।

इम्पैनलमेंट सीजीएचएस की दरों पर नहीं था।

दिनांक 28.03.2018 के परिपत्र अनुसार 01.04.2018 से अस्पतालों के साथ इम्पैनलमेंट का नवीनीकरण केवल सीजीएचएस पर ही किया जाये।

इस संबंध में, चिकित्सा अनुभाग इंडियन स्पाइनल इन्जरी सेंटर, वसन्त कुंज, नई दिल्ली के साथ सीजीएचएस दरों पर इम्पैनलमेंट हेतु प्रयासरत है।

इस अवधि के दौरान अस्पताल में आईपीडी उपचार हेतु कोई भी प्राधिकृत पत्र (ऑथराइजेशन लेटर) जारी नहीं किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी (अनुमोदित 5 प्रमुख बीमारियों के लिए) अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाता है तो अस्पताल से डिस्चार्ज के समय उसे भुगतान करना होगा और उपरोक्त अस्पताल में कराये गये इन्डोर उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति बिना पैनल के अस्पतालों में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में लागू नीति के अनुसार किया जाएगा।

गएक/१९/२१११
(आर.मधुसूदन)
उप महाप्रबंधक

वितरण:

- अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक के कार्यकारी सचिव
- सभी निदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- महप्रबंधक(वित्त)-(आरएन)
- एसटीसी की वेबसाइट
- नोटिस बोर्ड